



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-30092026-276631
CG-KA-E-30092026-276631

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4968]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948

No. 4968]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिमी रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 19 सितम्बर, 2026

का.आ. 5174(अ).— रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार (रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, संलग्न अनुसूची में दिए गए संक्षिप्त विवरण वाली भूमि, कर्नाटक राज्य में स्थित विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् "मैसूर-हासन मंडल के बीच होसा अग्रहारा गांव (एच ए एच) के पास एक अतिरिक्त लूप लाइन का निर्माण" करने के निष्पादन हेतु उक्त भूमि की आवश्यकता है, एतद्वारा ऐसी भूमि के अधिग्रहण की अपनी मंशा की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (1) के तहत उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है।

मैसूरु मंडल के मैसूरु - हासन के बीच होसा अग्रहारा गांव (एच ए एच) के पास एक अतिरिक्त लूप लाइन के निर्माण करने के लिए आपत्ति कर्ता लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् भूमि अधिग्रहण अधिकारी और सहायक आयुक्त, हुनसूर उप-मंडल, हुनसूर, और मध्यस्थ, अर्थात् क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर मंडल, मैसूर को दी जाएगी और उसमें आपत्ति के कारण बताए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं या किसी कानूनी सलाहकार के माध्यम से सुनवाई का

अवसर प्रदान करेगा और सभी आपत्तियों की सुनवाई करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली आगे की जांच करने के बाद, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया जानेवाला कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-मानचित्र और अन्य विवरण उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति इन्हें सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् भूमि अधिग्रहण अधिकारी और सहायक आयुक्त, हुनसूर उपमंडल, हुनसूर के उपर्युक्त कार्यालयों में देख सकते हैं।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के मैसूर-हासन मंडल के बीच होसा अग्रहारा गांव (एच ए एच) के पास एक अतिरिक्त लूप लाइन के निर्माण के प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना के अंतर्गत आने वाली, संरचना सहित या बिना संरचना के, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य : कर्नाटक			जिला: मैसूर		
तालुक: कृष्णराजनगर			गांव: होसा अग्रहारा		
एस. एन.	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (जी में)	क्षेत्रफल (हेक में)
01	14	निजी	खुशकी	1.5	0.01517
02	15/4	निजी	खुशकी	04	0.04046
03	16/1	निजी	खुशकी	6.5	0.06576
04	16/2	निजी	खुशकी	04	0.04046
05	17	निजी	खुशकी	07	0.07081
06	18/1	निजी	खुशकी	07	0.07081
07	18/2	निजी	खुशकी	02	0.02023
08	18/3	निजी	खुशकी	14	0.104163
09	18/4	निजी	खुशकी	02	0.02023
10	19/2	निजी	खुशकी	02	0.02023
11	19/3	निजी	खुशकी	19	0.19222
12	19/4	निजी	खुशकी	10	0.10117
13	19/5	निजी	खुशकी	02	0.02023

[फा. सं. डब्ल्यू.271/सीएन/बीएनसी/2026-27/भूमि एसआरपी/1727]

आशुतोष माथुर, मुख्य इंजीनियर-IV/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
[South Western Railway (Construction Organization)]
NOTIFICATION

Bengaluru, the 19th September, 2026

S.O. 5174(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 20 A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government (Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, viz "construct an additional loop line near the Hosa Agrahara village (HAH) between Mysore-Hassan division.", in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act

Every such objection shall be made to the Competent Authority viz., Land Acquisition Officer, and Assistant Commissioner, Hunsur Sub-division, Hunsur, and 'Arbitrator' viz, 'Regional Commissioner, Mysore division, Mysore' to construct an additional loop line near the Hosa Agrahara village (HAH) between Mysore-Hassan division line in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the Competent Authority viz., Land Acquisition Officer, and Assistant Commissioner, Hunsur Sub-division, Hunsur.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project of " construct an additional loop line near the Hosa Agrahara village (HAH) between Mysore-Hassan division.", in the state of Karnataka.

STATE: KARNATAKA			DISTRICT: MYSURU		
TALUK: K R NAGARA			VILLAGE: HOSA AGRAHARA		
Sl No	Survey No	Type of Land	Nature of Land	Area (in G)	Area (in Hectares)
1	14	Private	Kushki	1.5 G	0.01517
2	15/4	Private	Kushki	04 G	0.04046
3	16/1	Private	Kushki	6.5 G	0.06576
4	16/2	Private	Kushki	04 G	0.04046
5	17	Private	Kushki	07 G	0.07081
6	18/1	Private	Kushki	07 G	0.07081
7	18/2	Private	Kushki	02 G	0.02023
8	18/3	Private	Kushki	14 G	0.104163
9	18/4	Private	Kushki	02 G	0.02023
10	19/2	Private	Kushki	02 G	0.02023

11	19/3	Private	Kushki	19 G	0.19222
12	19/4	Private	Kushki	10 G	0.10117
13	19/5	Private	Kushki	02 G	0.02023

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

ASHUTOSH MATHUR, Chief Engineer-IV/Construction